



2026:AHC:52140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3569 वर्ष 2026

राम हरी एवं 3 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्तागण की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्तागण से कनिष्ठ और समान रूप से स्थित पदाधिकारियों को पी.ए.सी. से सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्तागण के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्तागण के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक, पी.ए.सी. मुख्यालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाना है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट याचिकाकर्तागण, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्तागण के दावे पर विचार करेंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।